भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4686
28 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाएं

4686. श्री तंगेला उदय श्रीनिवास:
डॉ. बायरेड्डी शबरी:
श्री संतोष पांडेय:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार राज्यों में बेसिक लाइफ सपोर्ट (बीएलएस), एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट (एएलएस) और रोगी परिवहन वाहनों (पीटीवी) की सहायता के लिए राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा (एनएएस) को कार्यान्वित करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) निर्धारित जनसंख्या मानकों के आधार पर राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य को राज्यवार कितनी एएलएस और बीएलएस एम्बुलेंसों का आवंटन किया गया है;

(ग) विशिष्ट आवश्यकताओं और वर्तमान सेवा अंतरालों के आधार पर एम्बुलेंसों की अपेक्षित संख्या प्रस्तावित करने के लिए राज्यों द्वारा अपनाए गए मानदण्ड और प्रक्रिया का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा के अंतर्गत विशेषकर देश के ग्रामीण और अल्पसेवित क्षेत्रों में एम्बुलेंस सेवाओं की पर्याप्तता का कोई आकलन किया है और इन क्षेत्रों में इसके कवरेज में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) चालू वर्ष की स्थिति के अनुसार देशभर में राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा के अंतर्गत कार्यशील और गैर-कार्यशील एक्टिव 'एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट (एएएलएस) और बीएलएस एम्बुलेंसों की आन्ध्र प्रदेश सहित राज्य/जिलावार कुल संख्या कितनी है?

(च) विगत पांच वर्षों के दौरान इन एम्बुलेंसों द्वारा राज्यवार कुल कितने लोगों को सहायता प्रदान की गई;

(छ) क्या छत्तीसगढ़ राज्य में उक्त जीवन रक्षक एम्बुलेंस पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त एम्बुलेंसों के रख-रखाव के लिए कितनी राशि प्रदान की गई है; और

(झ) क्या एम्बुलेंस और उसमें रखे उपकरणों का कोई लेखापरीक्षा किया गया है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (च): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत वर्ष 2012 में राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा (एनएएस) की शुरुआत की, जो भारतीय स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली का एक अभिन्न अंग बन गई है। एनएएस देश के 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यशील है। एनएचएम राज्यों और

संघ राज्य क्षेत्रों को एनएएस के माध्यम से रोगियों के आपातकालीन परिवहन सहित उनकी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एनएएस के कार्यान्वयन के लिए मॉडल का चयन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा उनकी आवश्यकता और उपयुक्तता के आधार पर किया जाता है। एनएचएम बेसिक लाइफ सपोर्ट (बीएलएस) एम्बुलेंस, एडवांस लाइफ सपोर्ट (एएलएस) एम्बुलेंस, रोगी परिवहन वाहन (पीटीवी) और दूरदराज और पहुंच में दुर्गम क्षेत्रों के लिए बाइक, बोट एम्बुलेंस जैसे अभिनव समाधानों के लिए परिचालन लागत और पूंजीगत व्यय के लिए सहायता प्रदान करता है।

स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए एम्बुलेंस की उपलब्धता और सेवा पर्याप्तता सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। हालांकि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति (एनपीसीसी) द्वारा विधिवत मूल्यांकन किए गए राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एसपीआईपी) के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके आपातकालीन पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए प्रत्येक वर्ष वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। राज्यों को यह छूट दी गई है कि वे अपने संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में आवश्यकता और अंतर विश्लेषण के आधार पर परिचालन लागत/पूर्ण परिचालन लागत सहित किसी विशेष प्रकार की एम्बुलेंस और आवश्यक संख्या में एम्बुलेंस का प्रस्ताव कर सकें। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पास ग्रामीण या दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों सहित नागरिकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता/सेवा आवश्यकताओं के आधार पर एम्बुलेंस प्रदान करने की छूट भी है।

एएलएस और बीएलएस एम्बुलेंस का वितरण एनएचएम के तहत निर्धारित जनसंख्या मानदंडों के आधार पर एक कार्यनीतिक दृष्टिकोण का अनुपालन करता है। इन मानदंडों के अनुसार, प्रति 500,000 लोगों पर एक एएलएस एम्बुलेंस की सिफारिश की जाती है, जबकि प्रति 100,000 लोगों पर एक बीएलएस एम्बुलेंस की सिफारिश की जाती है। यह आवंटन ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों सहित पूरे देश में स्वास्थ्य सेवा आवश्यकताओं के लिए एक संतुलित और कुशल प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

एनएचएम के तहत प्रत्येक वर्ष एक कॉमन रिव्यू मिशन (सीआरएम) आयोजित किया जाता है, जिसमें एंबुलेंस सहित विभिन्न स्वास्थ्य प्रणाली और कार्यक्रम घटकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है। रिपोर्ट के निष्कर्ष (अद्यतित 16वां क्रम, 2024) https://nhsrcindia.org/sites/default/files/2025-03/16th%20CRM%20Report%20%282024%29_0.pdf पर उपलब्ध हैं।

एनएचएम-एमआईएस, सितंबर 2024 के अनुसार, देश भर में एनएएस के तहत कार्यशील एएलएस और बीएलएस एम्बुलेंस की कुल संख्या, आंध्र प्रदेश सहित राज्यवार अनुलग्नक में दी गई है। एम्बुलेंस सेवाओं का क्रियान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है और इन एम्बुलेंस द्वारा सहायता प्राप्त लोगों से संबंधित डेटा का प्रबंधन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है।

(छ) से (झ): एनएचएम-एमआईएस, सितंबर 2024 के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य में 30 एडवांस लाइफ सपोर्ट (एएलएस) एम्बुलेंस और 296 बेसिक लाइफ सपोर्ट (बीएलएस) एम्बुलेंस कार्यशील हैं। यह सहायता राज्य द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) के आधार पर प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत एंबुलेंस के रखरखाव के लिए धनराशि परिचालन लागत में शामिल है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके समग्र संसाधन सीमा के भीतर उनके संबंधित कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना प्रस्तावों में उनके द्वारा किए गए प्रस्तावों के आधार पर प्रदान की जा रही है। हालाँकि, वर्ष 2022 से एनएचएम के तहत एंबुलेंस के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को आवंटित धनराशि का विवरण नीचे दिया गया है:

(लाख रु.में)

राज्य	2022-2023	2023-2024	2024-2025
छत्तीसगढ़	8,935.00	11,340.77	8,576.12

एम्बुलेंस की परिचालन लागत में रखरखाव व्यय भी शामिल है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पूरे देश में राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। “जन स्वास्थ्य और अस्पताल” राज्य का विषय है, जन स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने की प्राथमिक जिम्मेदारी, जिसमें आवश्यक संख्या में एम्बुलेंस उपलब्ध कराना, उनकी कार्यक्षमता और संचालन सुनिश्चित करना शामिल है, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। एनएचएम के माध्यम से नियमित समीक्षा बैठकों और क्षेत्र दौरों के माध्यम से एम्बुलेंस के कार्यान्वयन की प्रगति और कार्यनिष्पादन की नियमित निगरानी की जाती है।

अनुलग्नक

श्री तंगेला उदय श्रीनिवास, डॉ. बायरेड्डी शबरी और श्री संतोष पांडे, माननीय सांसदों द्वारा "राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाओं" के संबंध में पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4686 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कार्यशील एएलएस और बीएलएस एम्बुलेंस की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एडवांस लाइफ सपोर्ट (एएलएस)	बेसिक लाइफ सपोर्ट (बीएलएस)
आंध्र प्रदेश	105	523
अरुणाचल प्रदेश	0	112
असम	14	779
बिहार	576	1082
छत्तीसगढ़	30	296
गोवा	27	0
गुजरात	175	425
हरियाणा	55	264
हिमाचल प्रदेश	25	173
झारखंड	124	418
कर्नाटक	231	484
केरल	0	315
मध्य प्रदेश	167	835
महाराष्ट्र	233	704
मणिपुर	0	0
मेघालय	12	38
मिजोरम	0	0
नागालैंड	0	27
ओडिशा	411	449
पंजाब	25	300
राजस्थान	147	797
सिक्किम	0	8
तमिलनाडु	205	1148
तेलंगाना	31	426
त्रिपुरा	0	50
उत्तराखंड	54	217
उत्तर प्रदेश	250	4470
पश्चिम बंगाल	0	1000
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	26
चंडीगढ़	0	6
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0
दिल्ली	0	29
जम्मू एवं कश्मीर	139	64
लद्दाख	22	0
लक्षद्वीप	0	0
पुदुचेरी	0	10
कुल	3058	15475

स्रोत: एनएचएम-एमआईएस, सितंबर, 2024

*****